अंक : 37, 2023

स्त्रीकाल

(स्त्री का समय और सच)

सिनेमा का स्त्रीवादी पक्ष

मूल्य : 150 रुपये

ISSN : 2249-4146

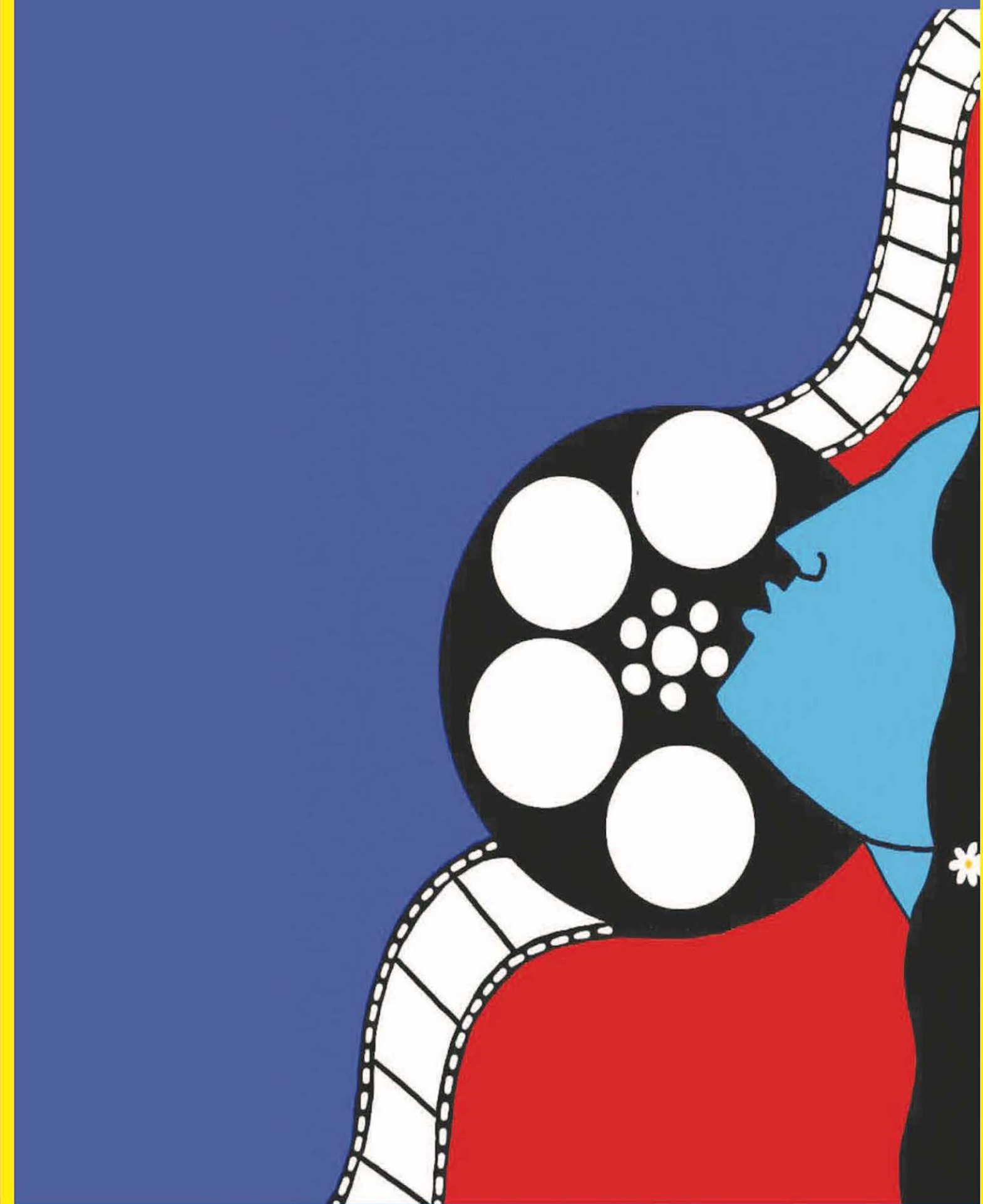

स्वामी-प्रकाशक-मुद्रक : संजीव कुमार चंदन द्वारा विकास कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स से मुद्रित।

मुद्रक का पता : विकास कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, मकान नं.-33, सेक्टर ए-5/6, यूपीएसआईडीसी एरिया, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद, (यूपी)

प्रकाशकीय पता : सी-401, मंगलम विहार अपार्टमेंट्स, आरा गार्डन रोड, पटना, बिहार-800014 (संपादक : संजीव चंदन)

स्त्रीकाल

(स्त्री का समय और सच)

अंक : 37, 2023

अंक संपादक
विभावरी : 9968408085

संपादक
संजीव चंदन : 8130284314

संपादक मंडल

डॉ. अनुपमा गुप्ता	:	9422903102
राजीव सुमन	:	9650164016
मनोरमा	:	9916288838
अरुण कुमार	:	8591836826
नूतन मालवी	:	9325222427
दीप्ति शर्मा	:	8851924739

प्रबंध संपादक
अशोक मेश्राम : 07709461649

लेआउट
दिनेश कुमार

भाषा एवं वर्तनी
अरुण

आवरण चित्र
अनुप्रिया

यह पत्रिका पीयर रिव्यूड है।
विशेषज्ञों के नाम के लिए *www.streekaal.com* को विजिट करें

सहयोग राशि

भारतीय पाठकों के लिए

व्यक्तिगत

एक प्रति : 150 रुपये
आजीवन : 7000 रुपये

संस्थागत

आजीवन : 10000 रुपये

***www.streekaal.com* के डोनेशन कॉलम से ऑनलाइन भुगतान करें।**

या निम्न खाते में डालें

The Marginalised
CANARA BANK
BRANCH : BARBADI, WARDHA, MAHARASHTRA
A/C No. 3792201000016
IFSC : CNRB0003792

संपादकीय संपर्क

The Marginalised , an Institute for Alternative Research & Media Studies, c/o Ashok D. Meshram, Sanewadi Wardha, Maharashtra, 442001
Admn. Office : C-401, Manglam Vihar Apartment, Arrah Garden Road, Patna-800014 (Bihar)
Email : themarginalised@gmail.com
Mobile : 8130284314

स्वामी-प्रकाशक-मुद्रक : संजीव कुमार चंदन द्वारा विकास कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स से मुद्रित।
मुद्रक का पता : विकास कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, मकान नं.-33, सेक्टर ए-5/6, यूपीएसआयीडीसी एरिया, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद, (यूपी)
प्रकाशकीय पता : सी-401, मंगलम विहार अपार्टमेंट्स, आरा गार्डन रोड, पटना, बिहार-800014 (संपादक : संजीव चंदन)

(प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक की उनसे कोई अनिवार्य सहमति नहीं बनती। पत्रिका से जुड़े सभी व्यक्ति अवैतनिक हैं।)
पत्रिका से संबंधित सभी मामले दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।

इस अंक रचनाकार

सम्पादकीय

- हिन्दू राष्ट्र : ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का आनंदलोक 03
- इस अंक में 06

स्त्रीवादी फिल्म सिद्धांत : रूप और अंतर्वस्तु में अभिव्यक्त स्त्री

- दर्शन-रति और कथा-सिनेमा–लॉरा मुलवे (अनुवाद : अनुपमा गुप्ता) 08
- श्वेत विशेषाधिकार एवं दृष्टिपात संबंध : स्त्रीवादी सिनेमा सिद्धांत में जाति और जेंडर–जेन गेंस (अनुवाद : बिनय ठाकुर) 16

साक्षात्कार

- उच्च जाति के लोग सभी सुविधाएं हथिया लेते हैं–अजय ब्रह्मात्मज की संपा मंडल से बातचीत 27

सिनेमा में स्त्री

- हिन्दी सिनेमा जो नई लड़की बना रहा है–प्रियदर्शन 31
- भारतीय सिनेमा की नई स्त्री : 'परमा'–विनोद दास 35
- स्त्री, सिनेमा और समाज–सौम्या बैजल 40
- हिन्दी सिनेमा में अंतर्वस्तु से रूप तक रची जाती एक टाइप्ट स्त्री के बरक्स खड़ी : 'अनुपमा'–सुदीप्ति 44

साहित्य, सिनेमा और स्त्री

- साहित्य, सिनेमा और बदलते स्त्री-पुरुष संबंध–जवरीमल्ल पारख 47
- कोई कहानी जब फिल्म बनती है : 'यही सच है' बनाम 'रजनीगंधा'–चन्दन श्रीवास्तव 53
- साहित्य के विखंडित सिनेमाई पाठ : सन्दर्भ स्त्री–विभावरी 61
- साहित्य, सिनेमा और स्त्री–विशाल पाण्डेय 70

ओटीटी, सिनेमा और स्त्री

- ओटीटी प्लेटफार्म : नयी खिड़की से खुलता बड़ा आसमान–प्रतिभा कटियार 72
- वेब सीरीज में लैंगिक असमानता के प्रश्न–अंजू लता 74
- ओटीटीके दौर में महिलाओं के चित्रण में बदलाव और भाषा के बदलते पैमाने–मंजरी सुमन 79
- ओटीटीके दौर में बदलता सिनेमा और स्त्री–वर्तिका 84

फिल्म निर्माण के विविध क्षेत्र और जेंडर समानता के प्रश्न

- हिन्दुस्तानी दस्तावेजी सिनेमा में महिला स्वर–संजय जोशी 86
- हिन्दी सिनेमा में गीत और संगीत का स्त्री पक्ष–डॉ. सागर 89
- हिन्दी फिल्म निर्माण में स्त्री और जेंडर समानता की बातें–रिया राज 92
- हिन्दी फिल्म उद्योग में कल्पना लाजमी की फिल्मों का एक विश्लेषण–पूरन जोशी 97
- हिन्दी सिनेमा में बांग्ला पार्श्व गायिकाएं–अनिल पुष्कर, मुन्नी गुप्ता 100

सिनेमा और दलित स्त्री

- हिन्दी सिनेमा में दलित स्त्री–बंदना भारती 104
- अस्तित्व के प्रश्न खड़े करती दलित स्त्री पात्र–शिप्रा किरण 107

लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा का स्त्री-पक्ष

- हिन्दी सिनेमा का पितृपक्ष–देवयानी भारद्वाज 112
- स्त्री-मन का मौन और आकांक्षाओं का 'बासंती' विस्फोट : महानायकवादी सिनेमा के सन्दर्भ में–पशुपति शर्मा 116
- स्त्री जीवन की समस्याओं के विविध आयाम : सन्दर्भ 'लज्जा'–हर्षिता 120

सिनेमा में समलैंगिकता के प्रश्न

- इक आग का दरिया है और डूब के जाना है...–फ़िरोज़ खान 125

बायोपिक में स्त्री प्रतिनिधित्व

- फिल्म में फ्रीडा काहलो के बहुमुखी रंग–सुरभि विप्लव 132

हिन्दू राष्ट्र : ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का आनंदलोक

राज्य हमेशा समाज की समकालीन प्रगतिशील चेतना को अपने निर्णयों से गति देता है। एक लोकतान्त्रिक राज्य से इसकी उम्मीद ज्यादा होती है, अनेक बार वह इस पर खरे उतरा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से राज्य पर काबिज लोग समाज में जड़ता और विभेदक शक्तियों को मजबूत करने में लगे हैं। समाज की गति को बेहद पीछे ले जाने वाले अपने फैसलों और कृत्यों से। भारत में जब संविधान लागू हुआ था तो आज राज्य की सत्ता पर काबिज लोगों की विचार धारा के लोग उसके खिलाफ थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का मुखपत्र ऑर्गनाइजर मनुस्मृति को ही संविधान मानने की दलीलें दे रहा था और संविधान की आलोचना कर रहा था।

जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा कि आरएसएस के लोग देश को दो सौ साल पीछे ले जाना चाहते हैं तो आरएसएस के तत्कालीन सर संघ चालक गोलवलकर का कहना था कि नेहरू गलत बोल रहे थे, हम तो दो हजार साल देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। दो हजार से पांच हजार साल पीछे ले जाने वाले इन लोगों के लिए मनुस्मृति आदर्श है, जो स्त्रियों, दलितों और अपनी आस्थाओं से अलग लोगों को-आज के संदर्भ में अकलियतों को, दोयम दर्जे में रखने की व्यवस्था देती है। इस विचारधारा के लोगों के लिए स्वर्णकाल का अर्थ है—ऊंची जाति के पुरुषों के वर्चस्व वाला स्वर्णिम काल।

गोलवलकर-सावरकर की विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं। समाज का एक हिस्सा, जो कभी-कभी बड़ा हिस्सा भी होता है इस विचारधारा से या तो ओत-पोत होता है, या प्रभावित होता है। ये लोग किसी भी तरह की प्रगति के खिलाफ होते हैं, किसी भी तरह की समानता के। समाज के इसी दवाब समूह से चिंतित बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान देश को सौपते हुए चेताया था कि संविधान के लागू होने के बाद राज्य तो समता, बंधुत्व और स्वतन्त्रता के प्रति प्रतिबद्ध होगा लेकिन समाज में अनुकूल बदलाव नहीं हुए तो संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आज राज्य की सत्ता पर काबिज लोग संविधान को ही असफल करने में लगे हैं।

पिछले 4-5 दशकों में भारत में कानून को जेंडर-जस्ट बनाने के लिए महिला आंदोलनों ने संघर्ष किया और सफलता पायी। 1972 में मथुरा रेप केस के बाद से स्त्रियों के विरुद्ध व्याप्त हिंसा और असमानता को खत्म करने की दिशा में महिला आंदोलनों ने काफी प्रगति की। मथुरा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाले आदिवासी हैं, तब वे नाबालिग थीं। उनपर थाने में पुलिस वालों ने बलात्कार किया था। मथुरा रेप केस के बाद ऑनस ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी आरोपी के ऊपर तय किया गया। हिरासत में बलात्कार के खिलाफ कानून बने। मैंने 2014 में जाकर मथुरा से मुलाकात की थी। वे हमारी पुरखा हैं, जिनके कारण बलात्कार के खिलाफ कानून में सुधार हुए। उसके पहले तत्कालीन प्रावधानों के कारण महिलाओं को गवाही के दौरान बेहद शर्मनाक स्थितियों से गुजरना होता था। मथुरा बलात्कार केस के बाद कानून बदला और अब आरोपी को सिद्ध करना है कि वह अपराधी नहीं है।

मथुरा हमारे लिए दादी-नानी हैं, जो महिलाओं के हक में कानून में बदलाव की कारण बनीं। हालांकि इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1983 में कानून में सुधार हुए। साक्ष्य अधिनियम में धारा 114(ए) जोड़ी गई। यह धारा अदालतों को बाध्य करती है कि 'अगर पीड़िता कहती है कि उसने संभोग के लिए सहमति नहीं दी तो अदालत माने कि उसने सहमति नहीं दी।' आईपीसी में धारा 376 (ए), धारा 376 (बी), धारा 376 (सी), धारा 376 (डी) को भी जोड़ा गया, जिसने हिरासत में बलात्कार को दंडनीय बना दिया। हिरासत में बलात्कार को परिभाषित करने के अलावा, एक बार संभोग स्थापित हो जाने के बाद, इस संशोधन ने आरोप लगाने वाले की जगह आरोपी पर सबूत का भार डाल दिया, यानी आरोपी सिद्ध करे कि उसने वह अपराध नहीं किया है। नये बदलावों ने इन—कैमरा गवाही का भी प्रावधान किया।

यौन हिंसा के खिलाफ महिला आंदोलनों के संघर्षों और उसके हासिल का एक क्रमिक इतिहास है। मथुरा रेप केस के 20 साल बाद भंवरी देवी बलात्कार काण्ड हुआ। राजस्थान में राज्य सरकार की कर्मचारी भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना 1992 में हुई। इस लड़ाई को भी जमीनी और कानूनी स्तर पर महिला आंदोलनों ने लड़ा। भंवरी देवी की पिटीशन पर ही 1997 में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आये। सभी कार्य स्थलों पर, जहां 10 से अधिक महिला और पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां यौन उत्पीड़न की शिकायत सुनने के लिए एक समिति के गठन का गाइडलाइन था। कई जगहों पर इसका अनुपालन हुआ था। दुखद है कि मुझे 2010 में सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसी समिति न होने की सूचना मिली। सुप्रीम कोर्ट से मेरे द्वारा दायर आरटीआई ऐक्ट के तहत सवालों के जवाब में सूचना मिली थी। शर्मनाक हद तो 1918 में दिखी, जब सबने देखा कि एक चीफ जस्टिस पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निपटाया और कैसे उनके रिटायरमेंट के बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। 2013 में ही कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बन चुका है।

भंवरी देवी के ठीक 20 साल बाद 2012 में निर्भया (दिया गया नाम) काण्ड हुआ—एक वीभत्स बलात्कार और हत्या का केस। इसके बाद रेप लॉ में सुधार हुए तथा कई अन्य सुधारों के साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) ऐक्ट, 2012 बना। 2018 में Protection of Children पॉक्सो, ऐक्ट 2012 में फिर सुधार हुए। इस तरह कई चरणों में समाज के प्रगतिशील तबके और राज्य के प्रगतिशील चरित्र से बने कॉमन

सेन्स ने, महिला आंदोलनों ने यौन हिंसा के कानून में व्यापक बदलाव यौन हिंसा व उत्पीड़न के सर्वाइवर के पक्ष में किये।

जब इन क्रमिक सुधारों की गति थम जानी ही थी, राज्य की शक्तियां गोलवलकरवादियों के हाथ में आ गईं। 2014 के बाद देश भर में में कई और घटनाएं घटीं, जिसने देश-समाज को आक्रोशित किया, एक ऐसे देश को जहां 86 से 90 बलात्कार रोज रिपोर्ट होते हैं और कई मामले रिपोर्ट किये भी नहीं जाते। फिर भी कुछ घटनाएं एक बड़े वर्ग को आक्रोशित कर सकीं। लेकिन और अब बदलाव का समय नहीं रहा, यथास्थिति का भी नहीं।

इन वर्षों में भाजपा सांसद कुलदीप सेंगर द्वारा नाबालिग लड़की के बलात्कार का मामला आया, हाथरस में बलात्कार और हत्या की घटना घटी, जम्मू कश्मीर के कठुआ में नाबालिग लड़की से एक पुरोहित द्वारा बलात्कार किया गया। इन घटनाओं में सरकार तथा सरकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्त्री विरोधी रही, उसके नेता भी बलात्कारियों के पक्ष में उतरे। उसके समर्थक पीड़िताओं और आवाज उठाने वालों के खिलाफ दुष्प्रचार में लग गए थे। इसके पहले भी बलात्कार के आरोपी आसाराम के साथ भाजपा के नेताओं के खड़े होने के ट्रैक रिकॉर्ड हैं।

भाजपा की सरकार और उसके दवाब में पुलिस भारत के लिए ओलम्पिक मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाती नजर आ रही है। भाजपा शासित राज्यों और केंद्र की सरकारों तथा भाजपा के नेताओं व समर्थकों का यौन हमलों के मामले में बेहद पितृसत्तात्मक व्यवहार का एक और उदाहरण है यह। गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के बलात्कारियों व कुछ अन्य के हत्यारों को छोड़ने का प्रसंग अभी ताजा ही है। दुखद है कि अब मीडिया का बहुत बड़ा तबका सत्ता के ताकतवरों के पक्ष में और पीड़िताओं के खिलाफ माहौल बनाने में, अफवाह फैलाने में लगा है।

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में जांच की गति उलटी है। खबर आती है कि पहलवानों की ही जांच हो रही है कि उनमें से एक नाबालिग है कि नहीं? उसे बालिग सिद्ध करने की कोशिश की खबरें आती हैं, जबकि वह नाबालिग श्रेणी में कुश्ती खेल चुकी बतायी जाती है। पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामले को दर्ज करके भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। जबकि आरोपी की गिरफ्तारी और त्वरित सुनवाई इस ऐक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। आरोपी भाजपा सांसद कितना ताकतवर है वह सामने है। वह गवाहों को धमकाने, साक्ष्यों को मैनिपुलेट करने की स्थिति में है, लेकिन खुला घूम रहा है।

आरोपी खुलेआम प्रेस में आरोपकर्ता लड़कियों को नार्को टेस्ट की चुनौती दे रहा है। उनकी तस्वीरें जारी कर रहा है। हद तो तब हो जाती है जब वह खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि उसने एक पहलवान को पकड़ कर गले लगाया। और बहुत-सी गवाहियां उसके खिलाफ है, लेकिन सत्ता और उसकी पार्टी ने उसे अभय दे रखा है। यही हिन्दू-राज का मॉडल है, जिसका मनुस्मृति संविधान है। दुखद यह भी है कि इसके पक्ष में महिलाओं की बड़ी संख्या शामिल होती है—मानो, वह अपने ही खिलाफ षड्यंत्र की एक हिस्सा है—अपने लिए हिन्दू-तालिबानी शासन का आह्वान कर रही है।

◻◻

हिन्दू राष्ट्र! एक ऐसा राष्ट्र, एकरुपीय (होमोजिनस) सांस्कृतिक परिवेश का राष्ट्र होगा—जिसका मूल लक्ष्य चातुवर्ण पर टिका ब्राह्मण पुरुष के वर्चस्व को कायम करना है—हाई कास्ट हिन्दू मेल के सभी हितों को संरक्षित करते हुए। स्पष्ट है शेष सभी इस राष्ट्र में 'अदरिंग' के शिकार होंगे। श्रेणीबद्ध हायरार्की से पोषित हाई कास्ट हिन्दू मेल के धार्मिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-आर्थिक वर्चस्व के उपनिवेश होंगे दूसरे सारे समूह।

संसद में, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप सेंगोल की स्थापना कर अपने हिन्दुत्व के एजेंडे का एक और उदाहरण मोदी सरकार ने दे दिया है। यह हिन्दुत्व दरअसल ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व है। इसे स्थापित करने के लिए जिस तरह हिन्दू कर्मकांड अपनाये गए और सांसदों के प्रवेश के पूर्व किसी राजा के सिंहासन आरूढ़ होने जैसे प्रदर्शन किये गए, लोकतांत्रिक भारत का एक शर्मनाक दृश्य था। सबसे शर्मनाक था पुरुष-पुरोहितों से घिरे पीएम की तस्वीर में एक महिला को मिसफिट दिखना। वह महिला थीं भारत की विदेश मंत्री, निर्मला सीतारामन। उन्हें पुरोहितों से दूर खड़ा होना पड़ा था—वह तस्वीर बताती है कि ब्राह्मणवादी हिन्दू राष्ट्र में एक महिला का क्या होगा—एक पढ़ी लिखी, पावर-वुमन-सी दिखती महिला भी इन ब्राह्मण पुरोहितों और सामान्य पुरुषों से कमतर है—हिन्दू राष्ट्र की तस्वीर में महिला मौन असूर्यम्पश्या ही होगी। यह अकारण तो है नहीं कि जिस वक्त नये संसद भवन में कर्मकांड हो रहे थे, उस वक्त अपने और अपनी साथियों यौन शोषण के आरोप के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला पहलवान सड़क पर घसीटी जा रही थी। उधर नये संसद में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण सेल्फी ले रहा था, तस्वीरें खिचवा रहा था।

सेंगोल को लेकर अफवाह तंत्र ने बेहद तेजी से काम किया। इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया गया। बताया गया कि लार्ड माउंट बेटन ने इसे सत्ता हस्तांतरण के वक्त नेहरू को दिया था। यह आरएसएस का फलसफा था। मीडिया और अफवाह तंत्र ने फैलाया। 'द हिन्दू' जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने भी इसे छापा। जबकि सच है कि उसी अखबार में 1947 में छपा था कि तमिलनाडु के कुछ पुरोहितों ने उसे नेहरू को दिया था, जिसे उन्होंने बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में भिजवा दिया था।

2014 के बाद पुनरुत्थान की, प्रतिक्रांति की योजना बेहद तेजी से काम कर रही है। सवाल है कि एक नियत समय का, एक नियत समय की राजनीति का क्या कोई एक ही नियंता होता है? किसी नियत समय की राजनीति का जिम्मेवार पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सत्ता में रहकर उग्र हिन्दुत्व के जरिये हिन्दू-राष्ट्र के अपने संकल्प को पोषित और पल्लवित कर रहा है तो दूसरी ओर उसका मुख्य विपक्ष कांग्रेस इस परियोजना में भागीदार हो रही है।

कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अनेक बार बेहद तार्किक और आरएसएस पर हमलावर दिखते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी या उनकी पार्टी की दिशा और गति उलट जाती है। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ काम करने को तत्पर दिखी, उसने इसके